न्यायालय अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म.प्र.

जमानत प्रकरण क्र. 2852/2022

सोनू खान पुत्र सकील खान, आयु–25 वर्ष, निवासी–इस्लामपुरा, जौरा, जिला–मुरैना म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना बहोडापुर ग्वालियर म.प्र.

....अनावेदक

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12.10.2022)

12.10.2022 श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार यह प्रतिभूति आवेदन निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

अभियुक्त द्वारा श्री विवेक कुमार व्यास अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री जगदीश शाक्यवार अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण आज प्रतिभूति आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र बहोडापुर से अपराध क्र. 653/2022 धारा– 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त हुई।

अभियुक्त की ओर से दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन धारा–439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त की ओर से उसके भाई आरिफ खान के शपथ पत्र से समर्थित यह तथ्य बताया गया है कि उसकी ओर से धारा–439 द.प्र.सं. के तहत प्रथम प्रतिभूति आवेदन होकर अन्य कोई प्रतिभूति आवेदन प्रस्तुत अथवा वरिष्ठ न्यायालय में लंबित नहीं है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा भी उक्त तथ्य को विवादित नहीं किये जाने से उक्त शपथ पत्र के आधार पर अभियुक्त की ओर से धारा–439 द.प्र.सं. के तहत प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र होना मानते हुए आवेदन पत्र का निराकरण किया जा रहा है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं तर्क संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बहोडापुर द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उसका किसी

अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध है। वह आधार सेंटर पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। जहां से उसे 6500/– रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था। उक्त सेंटर का मालिक संतोष चौहान होकर संतोष चौहान द्वारा ही सेंटर का संचालन किया जाता है। उसे कम्प्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं है। उसके द्वारा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। वह मुरैना जिला का स्थाई निवासी है। उसके फरार होने या साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। जमानत पर छोडे जाने की दशा में न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा। तदानुसार अभियुक्त को प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियुक्त की ओर से आवेदन के साथ उसके बैंक खाते की विवरणी की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उसमें उसे क्रमशः दिनांक 31.05.2022 को 6,712/– रूपये तथा दिनांक 30.06.2022 को 6,669/– रूपये वेतन प्राप्त होना बताया गया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त का प्रतिभूति आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया। केस डायरी का परिशीलन किया। अभियोजन मामले अनुसार फरियादी सुमंत सिंह चौहान को अपनी पुत्री आयुषी चौहान के स्कूल में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त सोनू खान एवं अन्य अभियुक्त प्रेरणा मिश्रा द्वारा 1000/– रूपये जन्म प्रमाण पत्र बनवाये जाते हैं। इस पर वह अभियुक्तगण सोनू खान तथा प्रेरणा मिश्रा से मिला, जिन्होंने शासन की ओर से संचालित कार्यालय होना बताते हुये 1000/– रूपये प्रदान किये जाने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाना व्यक्त किया। फरियादी द्वारा दिनांक 18.07.2022 को स्वयं तथा अपनी पत्नी के आधार कार्ड की प्रति तथा 500/– रूपये अग्रिम अभियुक्त सोनू खान को प्रदान किये, जिस पर दिनांक 18.07.2022 को शाम 6:00 बजे अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की पुत्री आयुषी चौहान का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया। तत्समय फरियादी द्वारा अन्य अभियुक्त प्रेरणा मिश्रा को 500/– रूपये प्रदान किये गये। फरियादी द्वारा उक्त जन्म प्रमाण पत्र की जांच नगर निगम से कराये जाने पर जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होना बताया गया। घटना के संबंध में फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बहोडापुर ग्वालियर में अभियुक्तगण सोनू खान एवं प्रेरणा मिश्रा के विरूद्ध अपराध

क्रमांक 653/2022 धारा 420, 467, 468, 471 भादंसं पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 03.10.2022 को अभियुक्त सोनू खान को गिरफ्तार कर उसकी संसूचना के आधार पर प्रिंटर, मोबाइल इत्यादि तथा अभियुक्त प्रेरणा मिश्रा को दिनांक 04.10.2022 को गिरफ्तार कर उसकी संसूचना पर लेपटॉप, मोबाइल जप्त किये गये। अभियुक्तगण को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनकी दिनांक 14.10.2022 तक की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की गई है।

अभियोजन मामले तथा केस डायरी में संकलित साक्ष्य अनुसार अभियुक्तगण सोनू खान तथा प्रेरणा मिश्रा द्वारा फरियादी को प्रवंचित कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिये 1000/– रूपये की राशि प्राप्त की गई है और उसे अनाधिकृत रूप से जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया है, जो कूटरचित होना पाया गया है। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर आजीवन कारावास से दंडनीय है। मामला अभी प्रारंभिक विवेचना के प्रक्रम पर है। मामले की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त को प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की दशा में साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त सोनू खान को प्रतिभूति पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अभियुक्त सोनू खान की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन धारा–439 दं.प्र.सं **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी लौटाई जावे।

म.प्र. नियम तथा आदेश आपराधिक में हुये संशोधन के आलोक में नियम 117–ख के तहत आदेश तथा पुलिस प्रतिवेदन की प्रति अभियुक्त/आवेदक को उसके अधिवक्ता के माध्यम से प्रदान की जावे।

परिणाम दर्ज कर पत्रावली दाखिल रिकार्ड हो।

SUSHIL KUMAR JOSHI
Digitally signed by SUSHIL KUMAR JOSHI
Date: 2022.10.12 18:07:45 +0530

सुशील कुमार जोशी
अष्टम अति. सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर(म.प्र.)